अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/158

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 62/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल — विक्रेता
मै0 काठपाल स्पेशल स्वीट एण्ड वैरायटी स्टोर, शॉप नम्बर 02, मीरा चौक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय — दिनांक : 09.10.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संशोधित आदेश कमांक – आयुक्ता0/खासुऔनि/स्वस्थ/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्रीकंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2023 को बाद दोपहर बाद 1.40 पीएम को **मै0** काठपाल स्पेशल स्वीट एण्ड वैरायटी स्टोर, शॉप नम्बर 02 मीरा चौक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल (विक्रेता) को अपना परिचय देकर दुकान मे स्टील ट्रे मे रखे खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा उस स्थान मे स्टील ट्रे मे रखे लगभग 5 किलो खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **गुलाब जामुन मिठाई** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **गुलाब जामुन मिठाई** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A2/2

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार कोठपाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गुलाब जामुन मिठाई 2** किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गुलाब जामुन मिठाई** का नकद भुगतान 320/ रुपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामुन मिठाई 2** किलोग्राम को एक रूप कर बराबर भागो मे बांटकर चार बोतलो मे भरकर प्रत्येक बोतल मे परिरक्षक फॉर्मेलिन की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को एयरटाईट कर लिया। प्रत्येक बोतल को कसकर ढक्कन बंद किया और चारो बोतलो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डीओ श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमाक के–1650** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1650** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारो नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते मे लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार कोठपाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वही नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डीओ कम सीएमएचओ श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक 1.S. 148 Act 2023/148 Dated 24-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1650 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण मे अभियुक्त नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गुलाब जामुन मिठाई 2** किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गुलाब जामुन मिठाई** का नगद भुगतान 320/ रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामुन मिठाई 2** किलोग्राम को एक रूप कर बराबर भागो मे बाटकर चार बोतलों मे भरकर प्रत्येक बोतल मे परिरक्षक फोर्मेलिन की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को एयरटाईट कर लिया। प्रत्येक बोतल को कसकर ढक्कन बंद किया और चारों बोतलो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डीओ श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1650** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वय ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1650** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व पेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वय के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वहं नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 06 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डीओ कम सीएमएचओ श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक F.S./148/Act 2023/148 Dated 24-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1650 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण मे अभियुक्त नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कोशवाल मिसरी कोटपाल स्पेशल स्वीट एण्ड वैरायटी स्टोर शॉप नम्बर 02 मीरा चौक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गुलाब जामुन मिठाई** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब मे कथन किया है कि उपरोक्त अनवानके नोटिस के तथ्य जिस तरह से वर्णित किये गये है वह स्वीकार नही है। गुलाब जामुन के निर्माण मे सही प्रकार से खोवा चीनी व तेल का प्रयोग किया गया है और सम्पूर्ण मिठाई को ढक कर सही रूप से रखा जाता है व हर प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की जाती है। जो **Sub-Standard Food** बताया गया है वह निर्माता दोष न होकर यदि मिठाई एक दिन फ्रीज मे रह जावे तो उसमे कठोरता की वजह से आ जाती है और उससे उक्त मानक आ जाते है। आगे से हर प्रकार से ध्यान रखा जायेगा। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का आज ही फैसला किया जावे।

परिवाद पर दोनो पक्षो को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस मे बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गुलाब जामुन मिठाई** का सैम्पल **K-1650** जांच रिपोर्ट क्रमांक –.LS/148/Act/2023/148 Dated 24-02-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस मे कथन किया है कि गुलाब जामुन के निर्माण मे सही प्रकार से खोवा चीनी व तेल का प्रयोग किया गया है और सम्पूर्ण मिठाई को ढक कर सही रूप से रखा जाता है व हर प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की जाती है। जो **Sub-Standard Food** बताया गया है वह निर्माता दोष न होकर यदि मिठाई एक दिन फ्रीज मे रह जावे तो उसमे कठोरता की वजह से आ जाती है जिससे उक्त मानक मे अन्तर आता है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का आज ही फैसला किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Gulab Jamun(Made by Mawa, Suji,Maida, Paneer[backing powder and Vanaspati)" bearing Code No and Sr. No. K-1650, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1650 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल एक्ट 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल को खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल खाद्य पदार्थ मे डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटको का इस्तेमाल करे, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशो की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
अतिरिक्त जि[illegible] श्रीगंगानगर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।